International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 9, September- 2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

राजस्थान में महिला मानवाधिकारों की स्थिति

डॉ.साधना भण्डारी
व्याख्याता, लोक प्रशासन विभाग
राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)

डॉ. ओमपाल कुमार कालावत
व्याख्याता, नवजीवन महाविद्यालय, कांवट (सीकर)

सारांश

भारतीय संस्कृति में नारी को एक महान् शक्ति के रूप में आदर सम्मान दिया जाता रहा है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है और वे अवसर पाने पर पुरूषों की भांति प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान कर रही है। अतएव भारत की शासन व्यवस्था के नियोजन और संचालन में पुरूषों के साथ महिलाओं की भी समान रही है। लेकिन परिवार व रिश्तों को संजोने–संवारने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाने वाली आम महिला आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। महिलाओं एवं पुरूषों में अन्तर सदियों से चला आ रहा है। महिलाओं को हमेशा दूसरे स्थान पर समझा जाता रहा है। महिलाओं एवं उनके कार्यो को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। स्वतंत्रता के काफी समय बाद भी स्त्री की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहद चिन्तनीय है। शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना आत्मीय जनों के बीच भी सुरक्षित न होना और बलात्कार की नित्य बढ़ती हुई घटनाएं नारी शोषण की प्रत्येक परिस्थिति को चित्रित करती है। भारत विशेषकर राजस्थान में महिलाओं के मानवाधिकारों की क्या स्थिति है ? राजस्थान में मानवाधिकार आयोग, सरकारी व गैर–सरकारी संगठन एवं विभिन्न समाजसेवी संगठन महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा में कितने कारगर साबित हुए हैं ? इस परिप्रेक्ष्य में यह शोध–पत्र अवलोकनीय है।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, दोयम दर्जा, पुरुषसत्ता, घरेलू हिंसा, महिला सशक्तिकरण, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गैर सरकारी संगठन।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 9, September- 2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

प्रस्तावना

आज विश्व मानवाधिकारों की रक्षा करने के सम्बन्ध में चिंतित है, क्योंकि मानव अपने स्वाभाविक पथ से हट रहा है। मानव अपनी ही प्रजाति के अन्य लोगों को अपने प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करना चाह रहा है, जबकी जीवन के हर क्षेत्र में मानव अधिकारों की आवश्यकता है। मानव जाति को वह गरिमा प्राप्त हो, जो हर मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। महिला व पुरुष समान हैं, जिन्हें समान मानवाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन दुनियां में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, जबकि विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है। भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में कानून बनाये जाने के बावजूद महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। आये दिन छेड़छाड़ की धटनाएं हो रही हैं, जिन्हें सामान्य मानकर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। दहेज, बलात्कार, अपहरण, हत्या, घरेलू हिंसा, अनैतिक देह व्यापार, जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन, अपमान, अत्याचार, अन्याय आदि अपराध अब भी हो रहे हैं। विश्व में महिलाओं को समान अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयास किये गये हैं, परन्तु वर्तमान में उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं और न ही मानवाधिकार संरक्षित हो पाये हैं। अतः पूरी दुनिया को महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षार्थ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में महिलाएं अत्याचार, भेदभाव, रुढ़िवादी एवं सामाजिक कुरीतियों की शिकार हुई है। राजस्थान सरकार ने 1999 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि– राजस्थान में महिला मानवाधिकारों की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। दिवराला का सती प्रकरण और भंवरी देवी के साथ हुई बलात्कार की घटना ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान राजस्थान में महिला की स्थिति पर आकर्षित किया है। राज्य में पुरुषसत्ता के बन्धन, भेदभावूर्ण रीति– रिवाज एवं गरीबी के कारण इन्हें शोषण का शिकार बनाया जाता है।

राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 926 है, घटता लिंगानुपात चिन्ता का विषय है। घरेलू हिंसा और यौन अपराधों की संख्या में भी निरन्तर बढ़ोतरी हुई है। राज्य में महिला साक्षरता 52.66 प्रतिशत है जो पुरुष साक्षरता की तुलना में काफी कम है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर– संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महिला अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण प्रयास होते रहे हैं। संघ के चार्टर की प्रस्तावना में मानव पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने, मानव गरिमा की प्रतिष्ठा बनाये रखने तथा महिलाओं एवं पुरुषों के अधिकारों की समानता लाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष एवं सन् 1976 से 1985 के दशक को महिला दशक घोषित किया गया। कोपनहेगन में सन् 1980 में दूसरा विश्व महिला सम्मेलन आयोजित करते हुए महिलाओं के अधिकार एवं स्वतन्त्रता के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन किया गया। सन् 1985 में नैरोबी में तृतीय विश्व महिला सम्मेलन हुआ जिसमें महिलाओं को विकास प्रक्रिया में आवश्यक सहयोगी माना गया। सन् 1993 में वियना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए सम्मेलन हुआ। सन् 1995 में बीजिंग में महिलाओं का चौथा विश्व सम्मेलन हुआ जिसमें महिलाओं के अधिकारों को मानव अधिकारों के रुप में मान्यता प्रदान की गई। इस सम्मेलन में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाये। भारत ने इन सभी सम्मेलनों में भाग लेकर घोषणाओं पर हस्ताक्षर किये है।

राष्ट्रीय स्तर– प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में नारी को एक महान् शक्ति के रुप में आदर–सम्मान दिया गया है। मध्य काल में मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ–साथ नारी की स्थिति बिगड़ती गई। उसका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित होकर रह गया। विदेशी आक्रान्ताओं से उत्पन्न स्थिति से बचने के लिए बाल विवाह, बालिका शिशु हत्या, पर्दाप्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का समावेश होता गया और ये व्यवस्थाएं समाज में रुढ़ होती चली गई। जिसके परिणामस्वरुप महिलाएं अशिक्षित रह गई

और वह अपने भरण–पोषण के लिए पुरुषों पर निर्भर होती चली गई। जिससे समाज में स्त्री की स्थिति दयनीय हो गई। वह पराधीनता की जंजीरों में जकड़ती चली गई। नारी का सर्वाधिक शोषण इसी काल में हुआ। यह काल नारी के लिए अन्धकार का काल था।

ब्रिटिश काल में भी नारी की स्थिति दयनीय रही। उस समय सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दाप्रथा, देवदासी प्रथा, डायन प्रथा आदि प्रचलन में थी जो महिलाओं की प्रगति में बाधक थी।

आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, केशव चन्द्र सेन, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आदि ने भारतीय नारी की दशा को समझते हुए, नारी शिक्षा व अन्य क्रान्तिकारी सुधार लाने के प्रयास किए।

सन् 1947 में आजादी के बाद भारत के संविधान में पुरुष व महिला को अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में मूल वंश, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही, अनुच्छेद 16 में लोक सेवाओं में अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 में समान रुप से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतन्त्रता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23–24 में महिला के क्रय–विक्रय व बेगार प्रथा पर रोक, अनुच्छेद 39(घ) में स्त्री–पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 42 में महिला प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर व लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व एवं अनुच्छेद 243(घ) (न) में स्थानीय निकायों में 73 वें 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिला मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। भारत में 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया।

महिलाओं के प्रति अपराध से निपटने और उनके हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संविधान में विशेष कानून और नीतियां बनाई गई और उन्हें पुरूषों के समान दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन वास्तविकता में इनकी स्थिति आज भी सोचनीय है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 9, September- 2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

राज्य स्तर– राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किन्तु राजस्थान प्रारम्भ से ही रुढ़िवादी प्रदेश रहा है। यहाँ रजवाड़ों एवं सामन्तों का दबदबा रहा है। महिलाओं को निरक्षर, रुढ़ीवादी और घूंघट जैसी कुप्रथा में रखा गया है। यहाँ महिलाओं का सती होना एवं जौहर करना वीरता का प्रतीक माना गया जो परम्परागत संस्कारों के नाम पर महिला अधिकारों का हनन था।

राजस्थान में 1980 के दशक में अजमेर जिले के पुष्कर में प्रौढ़ शिक्षण समिति सेवा मन्दिर और राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति के प्रयासों से महिलाओं के लिए एक राज्य स्तर का मंच उभर कर सामने आया। इन्हीं दिनों उदयपुर महिला समिति ने महिलाओं पर हो रही हिंसा के विरुद्ध आन्दोलन किया । जयपुर में पहली बार आशा रानी दहेज हत्या का कड़ा विरोध किया गया।

सन् 1984 में राजस्थान सरकार ने महिला विकास कार्यक्रम का आरम्भ किया। सन् 1987 में रुपकँवर का देहदहन और सन् 1992 में भटेरी गाँव में सामूहिक बलात्कार के कारण उच्चतम न्यायालय ने 3 अगस्त, 1997 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के विरोध में दिशा निर्देश जारी किए।

राज्य में महिलाओं का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सन् 1985 से निरन्तर महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यरत है। 18 जून, 2007 को महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। 15 मई, 1999 को अधिसूचना के आधार पर राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अनुचित व्यवहार की जाँच करने, महिला हितों को प्रभावी बनाने, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को रोकने, महिला दशा में सुधार करने, महिला संरक्षण में उदासीनता बरतने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सरकार से सिफारिश करता है।

राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राज्य में परिवार परामर्श केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं जो पीड़ित महिलाओं के भावात्मक एवं कानूनी पक्षों को ध्यान में रखकर उचित परार्मश देते हैं तथा राज्य के समस्त जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला महिला सहायता समिति कार्य कर रही है।

पारिवारिक एवं वैवाहिक विवादों के निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के अर्न्तगत राज्य के कुछ जिलों में पारिवारिक न्यायालय स्थापित किये गये है। गरीब एवं असहाय महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक सहायता व्यवस्था भी की गई है।

उद्देश्य

- महिला मानवाधिकारों की पृष्ठभूमि का अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर का विश्लेषण करना।
- राजस्थान में महिला मानवाधिकारों की समीक्षा करना।
- महिला मानवाधिकार संरक्षा हेतु किये गये प्रयासों का विश्लेषण करना।
- महिला मानवाधिकारों की सीमाओं को उजागर करना।
- महिला मानवाधिकारों से सम्बन्धित सर्वेक्षण करना और समंक एकत्रित करना।
- महिला मानवाधिकारों की स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन करना और आवश्यक सुझाव देना।

अनुसंघान प्रविधि

शोध–पत्र से सम्बन्धित समंक प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से संग्रहित किये गये। प्राथमिक स्त्रोतों में अवलोकन, चर्चायें, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के द्वारा आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की गयी। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में दैव निदर्शन विधि के आधार पर राजनेता, लोक सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला, विद्यार्थी, मीडिया कर्मचारी, शिक्षक तथा आमजन का चुनाव कर साक्षात्कार लिया गया एवं प्रश्नावली भरवाई गई। द्वितीयक स्त्रोतों में

प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, विभिन्न विद्वानों के लेख, समाचार–पत्र, सरकारी प्रतिवेदन, अप्रकाशित सामग्री और विभिन्न इन्टरनेट वेबसाईट्स के माध्यम से समंक एकत्रित किये जाएंगे।

अवधारणात्मक संरचना

भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मानवाधिकार के रूप में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों की संरचना ऐसे समय में की गई, जब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को संचरित किया जा रहा था। इसका प्रभाव भारत के संविधान के मूल अधिकारों पर स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के लोगों के लिए राजनैतिक समाज की परिकल्पना अभिव्यक्त कर दी थी। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा था –''हम ऐसे भारत का सृजन करना चाहते हैं, जिसमें कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होगा, महिला और पुरूष समान होंगे, व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय भारत के लोगों को प्राप्त होगा।'' लेकिन भारतीय संविधान में किये गये विभिन्न उपबन्धों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना के पश्चात् भी महिलाएं विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित नहीं है। आज भी इनका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण विद्यमान है, ये सशक्त नहीं हो पाई हैं। महिलाओं से सम्बन्धित अपराध व अत्याचार जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वह अत्यन्त अशान्ति का कारण है।

सुझाव

- महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षार्थ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- महिलाओं को मानव मानकर उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाये।
- इन्हें अधिकार दिलाने व आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास किये जाये।
- महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न की जाये।
- शासन–प्रशासन को महिलओ के प्रति जबाबदेय एवं संवेदनशील बनाया जाये।

निष्कर्ष

बदलते वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को कम कर उन्हें अधिकार दिलाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों तथा संगठनों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए मानवाधिकार आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला आयोग एवं अनेक गैर सरकारी संगठनों ने सरकार के साथ वार्ताओं को बढ़ावा दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। अनेक विद्वानों एवं विशेषज्ञों ने समय–समय पर कुछ विशेष योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर अध्ययन किया है तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं परिवर्तन हेतु सुझाव भी दिये हैं, परन्तु राजस्थान में महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थिति आज भी चिन्ताजनक है।

सन्दर्भ–

- अंसारी, एम.ए. (2000) –'महिला और मानवाधिकार' ज्योति प्रकाशन, जयपुर
- आप्टे, प्रभा (1995) –'भारतीय समाज में नारी' क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
- ब्होरा, आशारानी (1994) – 'नारी शोषण : आईने और आयाम', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
- बिसवाल, तपन (2007) – 'ह्यूमन राईट्स जेन्डर एण्ड एनवायरमेन्ट', विधा बुक्स, न्यू देहली।
- दिवान, पी. (1994) – 'वुमैन एण्ड लीगल प्रोटेक्शन', दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, न्यू देहली
- गोयल, सुनील, गोयल, संगीता (2003) – 'भारतीय समाज में नारी' आर.बी.एस.ए पब्लिशर्स, जयपुर
- जायपालन, एन. (2001)– 'वूमन एण्ड ह्यूमन राईट्स', एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू देहली
- कौशिक, सुशीला (1993) –'वुमन एण्ड पंचायती राज' हर आनन्द पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

- कौशिक, आशा (2004) –'नारी सशक्तिकरण : विमर्श और यथार्थ' पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
- कौर, सतनाम (1985) –'वूमन एण्ड रूरल डवलपमेन्ट' मित्तल पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली
- शर्मा, रमा एवं मिश्रा, एम. के. (2010) – 'महिलाओं के मौलिक अधिकार' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
- शर्मा, विष्णुदत्त (1999) – 'नारी और न्याय' शोध प्रकाशन अकादमी, गाजियाबाद
- श्रीवास्तव, सुधा रानी (2000) – 'भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति', कॉमनवैल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली